देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/AKROSH/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 1 अगस्त 2019

जवाब दीजिये कमिश्नर महोदय?

दुष्कर्म पीड़ित महिला का चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की बजाय,आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पुलिस अधिकारियों को कब गिरफ्तार करेंगे??

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरैंस संख्या -2019/AKROSH/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 1 अगस्त 2019

वैशालीनगर थाने में दुष्कर्म पीडिता की ख़ुदकुशी का मामला

राजस्थान में जैसे जैसे अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है,उसके साथ ही पुलिस की परिवादियों/पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की जगह संवेदनहीनता और रूखे व्यवहार के मामले भी बढ़ते जा रहे है,परिणाम;आम आदमी का कानून पर से विश्वास उठता जा रहा है|जिससे व्यथित होकर या तो पीड़ित अपराध का रास्ता चुनता है या फिर मौत का|भले ही वह मौत फिर उसके स्वंय की हो,परिवार के सदस्यों की हो या फिर उनकी जिन पर उसने अपराध के आरोप लगाए हो|इस प्रकार घटित अपराध के साथ एक आत्महत्या या हत्या का मामला और जुड़ जाता है|

ऐसा ही एक मामला सुनने और देखने में आया है,जहाँ पर अपने साथ हुए धोखे और दुष्कर्म के मामले में इंसाफ मांगते मांगते एक महिला ने अपने 13 साल के बच्चे के सामने आग लगा कर ख़ुदकुशी कर ली|पुलिस ने भले ही इस मामले में मर्ग कायम कर लिया परन्तु मामला दर्ज नहीं किया है|

करीब 50 दिन पहले वैशालीनगर थाने में दर्ज करवाई थी दुष्कर्म की FIR

बेनाड रोड निवासी दुष्कर्म पीड़ित महिला ने 05/06/2019 को अपने पति के साथ उपस्थित होकर अपने दूर के रिश्ते में लगने वाले देवर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था|

दुष्कर्म मामले में जांच कर रहे सी.आई. संजय गोदारा और सर्किल ऑफिस रायसिंह बेनीवाल कर रहे थे पीडिता को प्रताड़ित

इस मामले की जांच थानाधिकारी संजय गोदारा के पास थी,अपने मामले को लेकर जब जब भी पीडिता संजय गोदारा से मिली,उनके द्वारा पीडिता को प्रताड़ित ही किया गया,जिसकी गुहार सर्किल ऑफिसर राय सिंह बेनीवाल से करने पर उनका बर्ताव भी पीडिता के प्रति नकारात्मक रहा|

न्याय नहीं मिलने पर थाने में की ख़ुदकुशी

दोनों अधिकारियों के समक्ष बार बार गुहार लगाने पर भी उनके द्वारा पीडिता की बाते अनसुनी कह कर उल्टे पीडिता को उसके 13 साल के मासूम बच्चे के सामने अपशब्द कहे गए तो महिला और अपमान नहीं सह सकी और न्याय मिलने की आशा धूमिल होती देख ख़ुदकुशी जैसे अंतिम उपाय को गले लगाने की ठानते हुए खुद को थाने के सामने आग के हवाले कर दिया|थाने के सिपाही अमरसिंह ने बहादुरी दिखाते हुए महिला को बचाने का भी प्रयास किया,परन्तु 80% जलने से उसे तत्काल SMS होस्पिटल भर्ती करवाया गया|

नागरिक संगठनों को इनकार किया सी.आई. और सर्किल ऑफिसर को हटाने से

दिनांक 29/07/2019 को सुबह 4 बजे पीडिता की मौत हो गयी जिससे श्री राजपूत करणी सेना और अन्य नागरिक संगठन लामबंद होने लगे,जिन्होंने मिलकर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को मामले की हकीकत से रूबरू करवाया|परन्तु तब तक पुलिस अपनी थ्योरी तैयार कर चुकी थी,जो कि शायद संजय गोदारा द्वारा ही तैयार करवाई गयी थी|अपनी थ्योरी में पुलिस कमिश्नर ने उल्टा महिला को ही चरित्रहीन बताते हुए अपने पति की गैर-उपस्थिति में, आपसी सहमति से शारीरिक सम्बन्ध होने की कहानी तैयार की और पुलिस की भूमिका को सीरे से नकारते हुए,सी.आई. संजय गोदारा और सर्किल ऑफिसर राय सिंह बेनीवाल के खिलाफ कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया|,जिसके चलते करणी सेना और अन्य नागरिक संगठनों ने वैशाली,खातीपुरा,झोटवाड़ा बंद का आह्वान कर दिया|

प्रेस कांफ्रेंस के जरिये पुलिस ने जारी किया महिला का चरित्र प्रमाण पत्र

पुलिस कमिश्नर महोदय यहीं नहीं रुके और आनन फानन से प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर, प्रेस रिलीज प्रकाशित कर दी,पहले तो पुलिस ने मीडिया के सामने पीडिता की पहचान ही उजागर कर दी परन्तु जल्दी ही अपनी गलती का अहसास होने पर प्रेस नोट बदला गया,अपने प्रेस नोट में पुलिस कमिश्नर यही सिद्ध करते नजर आये कि यह पूरा मामला आपसी सहमति का है,परन्तु प्रेस नोट में कहीं यह नहीं लिखा कि महिला ने थाने के सामने ही आत्महत्या क्यों की?स्थानीय पुलिस की इसमें क्या भूमिका रही?महिला बार बार थाने के चक्कर क्यों काट रही थी?

बड़ा सवाल?

एक से अधिक सम्बन्ध रखने पर महिला को दुश्चरित्र का और वही पुरुष को मर्दानगी का तमगा?

यह हमारे समाज की विडंबना ही है कि आज जहाँ लिव इन शिप के जमाने में आदमी-औरत के मध्य रिश्तों,और शारीरिक संबंधों में खुलापन आया है,वहीँ दूसरी और एक से अधिक सम्बन्ध रखने पर महिला को दुश्चरित्र का और वहीँ पुरुष को मर्दानगी का तमगा मिलता है|

हमारे राज्य की पुलिस अभी तक पुरुष मानसिकता से ही ग्रसित है,एक नहीं कई मामलों में देखा गया है कि महिला के थोडा से बेबाक होने से पुलिस महिला को दुश्चरित्र समझने लगती है| और उसी के हिसाब से महिला से पेश आती है|

नागरिक संगठनों के बंद से पुलिस प्रशासन आया दबाव में

पुलिस कमिश्नर के नकारात्मक रवैये से आहत करणी सेना और अन्य नागरिक संगठनों ने वैशाली,खातीपुरा,झोटवाड़ा बंद का आह्वान कर दिया|30/07/2019 को हुए बंद से पुलिस के होश उड़ गए और आस-पास के कई थानों की पुलिस को इलाके में तैनात कर दिया,आन्दोलनकारियों से बातचीत के लिए राजपूत पुलिस अधिकारी बजरंग सिंह और पुष्पेन्द्र सिंह को जिम्मेदारी दी गयी|

महिला के पति ने सी.आई संजय गोदारा और सर्किल ऑफिसर राय सिंह बेनीवाल के खिलाफ दर्ज करवाया ख़ुदकुशी के लिए उकसाने का मामला

इस पूरे मामले को लेकर महिला के पति ने सी.आई संजय गोदारा और सर्किल ऑफिसर राय सिंह बेनीवाल के खिलाफ ख़ुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया |परन्तु पुलिस ने FIR दर्ज नहीं कर जांच CID (CB) को सौंप दी,जांच में दोषी पाए जाने पर ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात डी.जी.पुलिस ने दोहराई है|

राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया प्रसंज्ञान,पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाये सवाल

जब इस सनसनीखेज मामला अखबारों,समाचार चैनलों के माध्यम से पूरे देश को पता चला तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए,राजुल बेन देसाई की अगुवाई में पांच सदस्यों का एक दल जांच के लिए जयपुर भेजा,जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये |आयोग ने बताया कि थाने में कोई महिला काउंसलर नहीं थी,जो महिला को समझ सके-समझा सके,ना ही कोई CCTV लगे हुए थे,जिससे पुलिस की पारदर्शी कार्यप्रणाली जग-जाहिर हो सके|

आयोग ने पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा महिला के चरित्र मंडन को भी गलत बताते हुए,पुलिस के बयानों की कड़ी भर्त्सना की और पुलिस को अपना रवैया सुधारने को कहा|

संजय गोदारा रहे विवादित

इस मामले के मुख्य किरदार संजय गोदारा अपनी ज्यादातर फिल्ड पोस्टिंग के समय विवादों में रहे हैएक न्यूज चैनल के मुताबिक़ उनके खिलाफ ACB में मामला दर्ज है|शिप्रापथ थाने में रहते एक युवक की थाने से कुछ दूर ही जला कर हत्या कर दी गयी थी,इसके बाद जब वह करणी विहार थाने रहे तो एक व्यक्ति की थाना परिसर में पुलिस प्रताड़ना के कारण हार्ट अटेक से मौत हो गयी थी,करणी विहार थाने में ही रहते हुए उनके द्वारा एक स्टेशुदा जमीन पर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने में भी मदद करने के आरोप लगे परन्तु अपने रसुखातों के चलते उनपर आज दिन तक कोई आंच नहीं आई और निर्बाध रूप से फिल्ड पोस्टिंग लेकर मलाई खाते रहे|

जवाब मांगते सवाल??

पुलिस ने बलात्कार की थ्योरी ठुकरा कर आपसी सहमति की थ्योरी बताई,लेकिन 384 IPC व धारा 66C IT के बारे में क्यों चुप है?

यदि मान भी लिया जाए कि दोनों के बीच आपसी सहमति से सम्बन्ध थे,तो पुलिस ने मामले में एफ.आर. क्यों नहीं लगायी?पुलिस ने दो अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज किया था तो उन धाराओं क्रमशः 384 IPC व धारा 66C IT में आगे अनुसन्धान क्यों नहीं जारी रखा?

क्या है मर्ग कायम?

थाने में मर्ग कायम किये जाने का सीधा-सा मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की मौत की सूचना को पुलिस के रिकॉर्ड में शुरूआती तौर पर दर्ज करना। पुलिस की जांच में अगर मामला आपराधिक निकले, तो मर्ग प्राथमिकी यानी एफआईआर में बदल जाता है। वरना मर्ग की फाइल बंद हो जाती है।

थाने के अंदर ख़ुदकुशी तो मर्ग में क्या कायम किया?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि थाने में हुई आत्महत्या की पुलिस ने क्या मर्ग कायम की है?मर्ग रिपोर्ट में पीडिता को ज्ञात बताया है या अज्ञात?मर्ग कायम करने वाला अधिकारी कौन है?मर्ग रिपोर्ट में क्या कारण बताये है?

महिला के 164 में दर्ज बयानों के बारे में क्यों नहीं बताया?

महिला ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट महोदय को 164 में क्या बयान दिए इस पर प्रेस कोंफ्रेस में क्यों नहीं बताया गया?/महिला ने आत्महत्या के लिए किन किन लोगो को दोषी ठहराया?

कार्यालय पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम आयुक्तालय जयपुर

प्रेस नोट

- दिनांक 05.06.2019 को परिवादिया ने मय अपने पति के उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट रिश्ते में अपने देवर के खिलाफ पेश की कि- मुलजिम व परिवादिया के रिश्तेदारी में चाचा-ताउ में देवर लगता है। करीबन 04 वर्ष पूर्व की घटना है, जब परिवादिया के पति आर्मी में बाहर पोस्टेड थे और मुल्जिम का परिवादिया से रिश्ता होने के कारण मुल्जिम परिवादिया के घर आता था व उसका सहयोग कर देता था। उस समय मुल्जिम ने परिवादिया को नशीली वस्तु मिला कर कोल्ड ड्रिंक पिला कर उसकी इच्छा के विरूद्ध शारीरिक सम्बन्ध व अश्लील क्लिप व फोटो बनाए व उनको सोशल मीडिया पर वायरल करने का भय दिखाया। परिवादिया को अजमेरा होटल में बुलाकर कर फिर से शारीरिक सम्बंध बनाये, फिर अभियुक्त रविन्द्र सिंह ने कई बार आनलाईन कमरे बुक करवाकर अलग-अलग स्थानों पर परिवादिया को अश्लील क्लिप वायरल करने का भय दिखाकर जबरन बलातकार करता रहा। इसी दौरान परिवादिया मुलजिम से गर्भवती हो गई, जिस कारण 25 अक्टुबर 2016 को परिवादिया को अपना गर्भपात भी करवाना पडा। फिर मुल्जिम ने परिवादिया का अश्लील विडियो क्लिप करने का भय दिखाकर समय-समय पर उदयपुर, अजमेर, नैनिताल व दिल्ली भी लेकर गया और वहां पर भी परिवादिया की इच्छा के विरूद्ध जबरन बलात्कार किया। परिवादिया व उसके पति के एटीएम कार्ड भी अपने पास रखता और अपनी मनमर्जी से पैसा निकालकर अपने प्रयोग में लेता तथा कई बार परिवादिया को ब्लैकमेल करके रूपये भी लिये जिस कारण परिवादिया मानसिकर रूप से परेशान रहने लगी।मुल्जिम परिवादिया व परिवादिया के पति के एटीएम कार्ड भी अपने पास रखता और अपनी मनमर्जी से पैसा निकालकर अपने प्रयोग में लेता रहा।

- इस मजमून रिपोर्ट पर मुकदमा न. 383/2019 धारा 376(2)(छ), 384 IPC व धारा 66C IT ACT मे कायम किया जाकर अनुसधान श्री संजय गोदारा पु.नि. द्वारा किया जा रहा है।

- दौराने अनुसंधान परिवादिया के बयानात् हस्बदफा 161 जा.फौ. व 164 जा.फौ. में लेखबद्ध करवाये गए व उसका बलात्कार सम्बन्धी मेडिकल मुआयना करवाया गया। समस्त गवाहान के बयानात् हस्बदफा 161 जा.फौ. में लेखबद्ध किए गए व प्रकरण संबंधी समस्त रिकार्ड विभिन्न होटलों से, परिवादिया व आरोपी के मध्य हुई चैट व फोन की रिकार्डिंग प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया।

- अनुसंधान से सामने आया है कि परिवादिया के पति के आर्मी में नौकरी करने के कारण व आरोपी उनके गांव के होने के कारण तथाकथित आरोपी का उनके घर आना जाना शुरू हो गया तथा उसने परिवादिया के 13-14 साल के बच्चे के साथ में खेलना भी शुरू कर दिया। परिवादिया तथा उसके पति के बीच शादी के बाद से विवाद चलता रहा है व वर्तमान में तलाक का केस विचाराधीन होना जानकारी में आया है।

- दिनांक 27.10.2015 को परिवादिया व आरोपी दोनों ही रात्रि में वहीं कमरे पर ही एक साथ रहे तथा दोनों में सहमति से शारीरिक सम्बन्ध बन गये थे। उसके बाद जयपुर, अजमेरा गैस्ट हाउस में व अजमेर, उदयपुर, दिल्ली व नैनीताल में विभिन्न होटलों में भी दोनों मे शारीरिक सम्बन्ध बने। परिवादिया द्वारा आरोपी को अपने नाम से एक मोबाईल दिलवाया था। इसमें से उदयपुर, दिल्ली व नैनीताल में परिवादिया का लडका भी दोनों के साथ था।

- यदि उक्त शारीरिक सम्बन्ध जबरदस्ती या डरा धमकाकर स्थापित होते, तो परिवादिया या उसका पुत्र, परिवादिया के पडोसी इस बारे में पुलिस या अन्य को सूचित करते, जो परिवादिया द्वारा 04 साल तक भी सूचना नहीं दी गई। होटल मैनेजरों द्वारा अपने कथनों में दोनों का राजीखुशी से आना बताया है।

- प्रकरण में तथाकथित आरोपी का माह अप्रैल 2019 में सगाई व रिश्ता पक्का हो गया था। परिवादिया द्वारा आरोपी को शादी नहीं करने बाबत् कहा गया व आरोपी के होने वाले ससुर व उनके परिवार से भी सगाई छुडवाने की बात की।

- दौराने अनुसंधान व पत्रावली पर आयी साक्ष्यों के आधार पर पाया गया है कि परिवादिया व आरोपी मध्य वर्ष 2015 से मधुर सम्बन्ध रहे है तथा दोनों के मध्य एक दूसरे की सहमति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित हुये है तथा दोनो की सहमति से परिवादिया व तथा कथित आरोपी दोनों ही इधर उधर घूमने भी गये है तथा परिवादिया के पति का बैंक ए.टी.एम. परिवादिया के पास था जिससे परिवादिया व तथा कथित आरोपी ने रूपये निकलवाकर उनका उपयोग किया गया है। अप्रैल 2019 में आरोपी की सगाई होने पर दोनो पक्षों में इस बात को लेकर मन मुटाव हो गया तथा परिवादिया द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराया जाना प्रथम दृष्टया सामने आया है तथा परिवादिया व तथा कथित आरोपी के मध्य दोनों की सहमति से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना सामने आया है। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है।

- दिनांक 28.07.2019 को समय 03.10 पी.एम. पर अभियोग सं 383/2019 की परिवादिया अपने बेटे के साथ थाने पर उपस्थित आयी, जिसने थानाधिकारी के बारे में पूछा, तो उनका राजकार्य में थाने से बाहर होना ज्ञात हुआ।

- इसके पश्चात परिवादिया थाना परिसर से बाहर अपने बेटे के साथ चली गई व करीब 10-15 मिनट बाद वापस थाना परिसर में आयी और उसने अपने शरीर पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली थी। उपस्थित थाना स्टाफ व आमजन ने उक्त पीडिता की आग बुझाई तथा उसे एम्बुलेंस से थाना स्टाफ के साथ एसएमएसएच जयपुर में भर्ती कराया गया था, जिस की दौराने इलाज आज दिनांक 29.07.19 को समय 04:45 एएम पर मृत्यू हो गई।

दुष्कर्म पीडिता की ख़ुदकुशी के बाद पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट

मामले में एफ.आर. लगाने की जगह पीडिता को क्यों प्रताड़ित करते रहे पुलिस अधिकारी?

मान भी लिया जाए पुलिस के अनुसन्धान के अनुसार यह मामला आपसी सहमति का है,परन्तु इसके बावजूद क्या वजह थी कि महिला को समझाईश की जगह उसे प्रताड़ित करती रही|

आसाराम को तत्काल गिरफ्तार किया तो इस मामले में आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों?

ऐसे ही एक हाई प्रोफाईल मामले में राजस्थान पुलिस द्वारा धर्म गुरु आसाराम को अब तक गिरफ्तार कर जेल में डाल रखा है,तो इस मामले में आरोपी की गिरफ़्तारी क्यों नहीं की गयी|

दुष्कर्म पीडिता के पति द्वारा पुलिस को CI संजय गोदारा और सर्किल ऑफिसर रायसिंह बेनीवाल के खिलाफ दी रिपोर्ट

30·7·19
थानाधिकारी
थाना वैशाली नगर
जयपुर (पश्चिम)

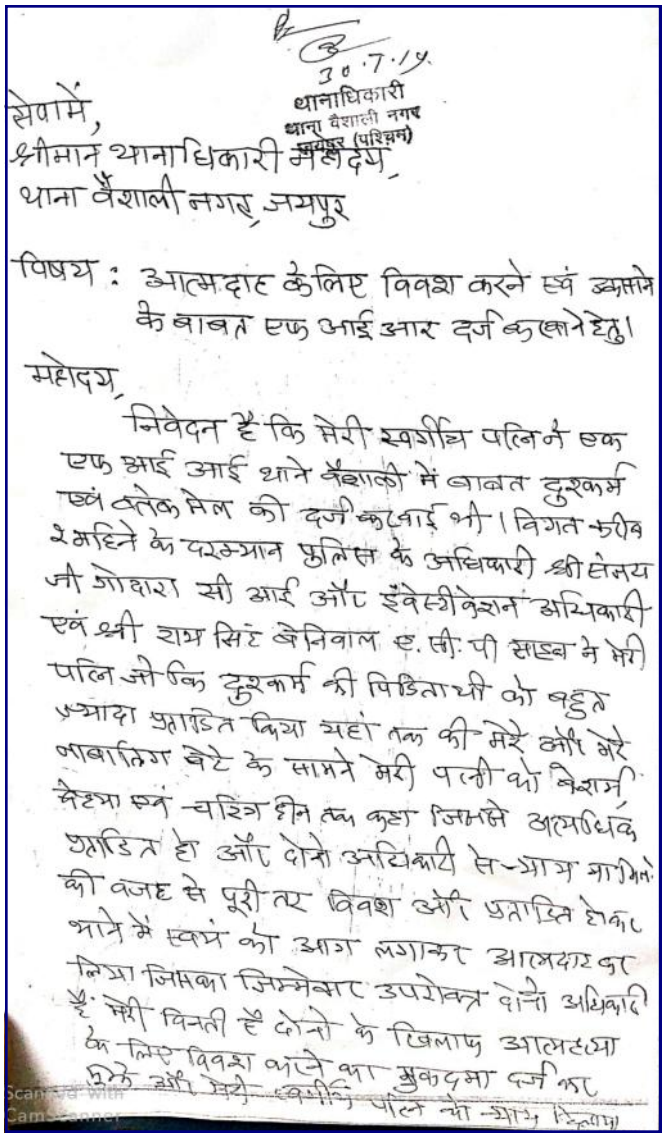

सेवा में,
श्रीमान थानाधिकारी महोदय,
थाना वैशाली नगर, जयपुर

विषय : आत्मदाह के लिए विवश करने एवं उकसाने के बाबत एफ आई आर दर्ज करवाने हेतु।

महोदय,
निवेदन है कि मेरी स्वर्गीय पत्नि ने एक एफ आई आर थाने वैशाली में बाबत दुष्कर्म एवं ब्लेक मेल की दर्ज करवाई थी। विगत करीब 2 महिने के दरम्यान पुलिस के अधिकारी श्री संजय जी गोदारा सी आई और इंवेस्टीगेशन अधिकारी एवं श्री राय सिंह बेनिवाल ए.सी.पी साहब ने मेरी पत्नि जो कि दुष्कर्म की पिडिता थी को बहुत ज्यादा प्रताडित किया यहां तक की मेरे और मेरे नाबालिग बेटे के सामने मेरी पत्नी को बेशर्म वेश्या एवं चरित्र हीन तक कहा जिससे अत्यधिक प्रताडित हो और दोनो अधिकारी के न्याय न मिलने की वजह से पूरी तरह विवश और प्रताडित होकर थाने में स्वयं को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया जिसका जिम्मेदार उपरोक्त दोनो अधिकारी है। मेरी विनती है दोनो के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने का मुकदमा दर्ज कर मुझे और मेरी स्वर्गीय पत्नि को न्याय दिलाया

जाये। मैं भी बहुत बार मेरी पत्नि के साथ थाने आया हूं परन्तु कभी भी दोनो अधिकारीयों ने एवं उनकी सह की वजह से अन्य मातहत पुलिस वालों ने भी हमारे साथ पिडित जैसा व्यवहार नहीं किया हमेशा राजीनामा व केश वापस लेने का दबाव एवं आरोपी के पक्ष में हमें धमकाने का ही कार्य किया। विगत दो महिनों में मेरी पत्नि लगातार बिना नागा के मेरे छोटे से बारह साल के बच्चे के साथ न्याय के लिए आती रही परन्तु हमेशा श्री संजय जी एवं एसीपी साहब ने उसे प्रताडित कर गलत चाल चलन का आरोप लगा दिया जिससे विवश हो उसने न्याय की चाह में अपनी इह लीला समाप्त कर ली।

महोदय मेरी रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही का आदेश फरमावें।

प्रार्थी

दिनांक 30/7/19

संलग्न एफ आई आर
नं. 0383/19

Scanned with CamScanner

जब पीडिता के पति ने सी.आई. संजय गोदारा और सर्किल ऑफिसर रायसिंह बेनीवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो दोनों को IPC 306 के तहत अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

पीडिता के पति द्वारा सी.आई. संजय गोदारा और सर्किल ऑफिसर रायसिंह बेनीवाल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दी परन्तु पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर मामले को जांच के लिए CID (CB) को दी है जिसकी रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज की जायेगी या नहीं,निर्णय लिया जायेगा|

जबकि पुलिस को मर्ग रिपोर्ट में परिवादी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही कर,आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दोनों आरोपी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था|

29/07/2019/दैनिक भास्कर

पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर सवाल, वैशालीनगर थाने की घटना

दुष्कर्म मामले में कार्रवाई नहीं, थाने पहुंची पीड़िता ने खुद को आग लगाई

महिला 75% तक झुलसी, 13 साल के बेटे के साथ स्कूटी पर हर दूसरे दिन पहुंचती थी थाने

क्राइम रिपोर्टर | जयपुर

पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला राजधानी का है। दुष्कर्म मामले में एक माह बाद भी न्याय नहीं मिलने और पुलिस अफसरों की ओर से केस वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने रविवार शाम वैशालीनगर थाना परिसर में खुद को आग लगा दी। महिला यहां अपने 13 साल के बेटे के साथ पहुंची थी। मां को लपटों में घिरी देखकर वह जोर-जोर से चिल्लाया तो थाने में मौजूद पुलिसकर्मी और लोग भी एकबारगी सन्न रह गए। सिपाही अमर सिंह ने महिला को बचाने का प्रयास किया। अन्य पुलिसकर्मी भी कंबल लेकर दौड़े, लेकिन तब तक उसका 75% हिस्सा झुलस गया। उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला को बचाने के प्रयास में सिपाही अमर सिंह का दायां हाथ भी 40% तक झुलस गया।

कंचन विहार निवासी इस महिला ने करीब एक माह पहले फतेहपुर शेखावाटी स्थित कारंगाछोटा निवासी रविन्द्र सिंह के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि उनके पति आर्मी में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। आरोपी उनके गांव के नजदीक का है। करीब चार साल पहले वह पति के साथ घर आया था। इसके बाद वह आएदिन घर आने लगा। एक दिन आरोपी उसे किसी काम से ले गया और दोस्त के क्वार्टर पर ले जाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। शेष | पेज 8

आत्मदाह की 2 वजह

पुलिस अफसर कहते हैं

4 साल बड़ी है सब, सहमति से हुआ

आरोपी धमकाता है

ऊंची अप्रोच है, कुछ नहीं बिगड़ेगा

सवाई मानसिंह अस्पताल में बर्न वार्ड के बाहर बेटे के साथ बैठे पति ने कहा कि आरपीएस रायसिंह बेनीवाल तो मामले को झूठा बताकर केस वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे। वे यह कहकर धमकाते थे कि पत्नी आरोपियों से चार साल बड़ी है। सब सहमति से हुआ है। उनकी पत्नी हर तीसरे दिन न्याय के लिए थाने जाती थी। वहां पर उसे ही गलत साबित कर बेइज्जत कर वापस भेज दिया जाता था। मामले की जांच थाना प्रभारी संजय गोदारा कर रहे हैं, जिन्हें पूरे सबूत देने के बाद भी वे आरोपी को बचाने में लगे रहे। आरोपी ने एटीएम का भी उपयोग किया। होटल में जबरन बुलाया। जिसके सारे सबूत थाना प्रभारी को दे दिए, मगर थाना प्रभारी उल्टे हमें ही बेइज्जत करते रहे। पीड़िता के पति ने बताया कि मामला दर्ज कराने के बाद आरोपी मोबाइल पर फोन कर धमकाते थे कि उनकी अप्रोच बहुत ऊंची है। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धमकाने की रिकॉर्डिंग जांच अधिकारी को देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।

सिपाही अमर का हाथ झुलसा।

डीसीपी बोले- केस वापस लेने के लिए दबाव नहीं बनाया, जांच हो रही थी

पीड़िता और उसके पति के आरोपों पर डीसीपी विकास शर्मा का कहना है कि किसी ने भी मामला वापस लेने के लिए दबाव नहीं बनाया। मामले की जांच की जा रही थी। जिसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला है, वह रिश्तेदार ही है। जांच निष्पक्ष की जा रही थी।

साथ गए बेटे को पेन लेने अंदर भेजा और लगा ली खुद को आग

पीड़िता के 13 साल के बेटे ने बताया कि मां हर दूसरे दिन उसे साथ लेकर थाने आती है। रविवार को थाने से निकलकर स्कूटी तक पहुंचे तो मां बोली- मेरा पेन अंदर रह गया है। मैं लेने गया तभी आग लगा ली।

दुष्कर्म मामले में कार्रवाई नहीं, थाने पहुंची पीड़िता ने खुद को आग लगाई

बेहोश होने पर दुष्कर्म किया और वीडियो क्लीप बना ली। इसके बाद क्लीप को वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने लगा। पति आर्मी से रिटायरमेंट लेकर घर आए तब उन्हें सारा घटनाक्रम बताया। वैशाली नगर थाना प्रभारी संजय गोदारा को जयपुर कमिश्नरेट में आने के बाद विवादों के कारण ही शिप्रापथ थाने से हटाया था। शिप्रापथ थाने के ठीक सामने मैदान में किसी ने एक व्यक्ति की हत्या कर लाश जला दी, लेकिन थाने में मौजूद किसी शख्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। लापरवाही के चलते थाना प्रभारी संजय गोदारा को शिप्रापथ थाने से हटाकर लाइन भेज दिया गया था। लाइन से करणी विहार थाना प्रभारी लगाया। जहां एक व्यक्ति की चालान कार्रवाई के दौरान अटैक आ गया था। जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। करणी विहार थाने से वैशाली नगर थाने में लगाया था।

Scanned with CamScanner

वैशाली नगर : पुलिस कार्रवाई न होने से आहत

रेप पीड़िता ने किया थाने में आत्मदाह का प्रयास

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. कार्रवाई के नाम पर पुलिस की आनाकानी और आरोपियों को बचाने का रवैया बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में रविवार को एक रेप पीड़िता ने कार्रवाई न होने से आहत होकर आत्मदाह का प्रयास किया। उसने थाने के गेट पर खुद को आग लगाई और 80 प्रतिशत तक झुलस गई। झोटवाड़ा इलाके की रहने वाली पीड़िता को गंभीर हालत में एसएमएस में भर्ती कराया गया है।

रेप पीड़िता दो महीने में कई बार थाने के चक्कर लगा चुकी है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करती थी। रविवार को उसका सब्र का बांध टूट गया और कपड़ों में आग लगाकर थाने में घुस गई। एक कांस्टेबल ने उसे जलता देख आग बुझाने का प्रयास किया तो उसका भी हाथ झुलस गया। थाना स्टाफ ने कंबल, चद्दर से उसके कपड़ों पर लगी आग को बुझाया। अस्पताल में मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान करवाए गए। जानकारी यह भी सामने आई है कि कुछ दिनों पहले आरोपी का परिवार डीसीपी वेस्ट से मिलकर के अपना पक्ष रखा था। जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश की बात कहकर कुछ नहीं कर रही थी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संतोष कुमार चालके ने कहा कि बलात्कार के मामले की तफ्तीश चल रही है। आरोपी महिला से 6 साल छोटा है। जांच पूरी होने के बाद ही गिरफ्तारी की जाती है।

ऐसी क्यों आई नौबत

परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें ही धमकाती थी। जांच का बहाना कर कुछ न कुछ साक्ष्य मांगती थी। गिरफ्तारी तो दूर आरोपी के परिवार के सामने हमें राजीनामा करने के लिए कहा गया। रविवार को जैसे ही पीड़िता थाने पहुंची तो उसने थानाधिकारी के बारे में पूछा, वह झोटवाड़ा में ड्यूटी पर गए हुए थे। एचएम से बातचीत कर वह बाहर आ गई और आग लगा ली। (पेज 04 भी पढ़ें)

थाने में आग लगाने का मामला

नशीला पदार्थ खिलाकर किया था बलात्कार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. बलात्कार के मामले में कार्रवाई न होने पर महिला के खुद को आग लगाने के मामले में सामने आया है कि आरोपी ने 2015 में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया था। उसके बाद ब्लैकमेल कर उससे कई बार रुपए भी ऐंठे। वैशाली नगर थाने के थानाधिकारी संजय गोदारा ने बताया कि नींदड-बैनाड़ निवासी पीड़िता ने 5 जून को बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था। उसका आरोप था कि पति आर्मी में है और बाहर रहता है। गांव में ही पति का दूर का भतीजा पास में ही रहता था। आरोपों की जांच चल रही थी और पीड़िता व उसके घरवाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आरोपी की पिछले दिनों सगाई भी हुई थी। पिछले साल सेना से रिटायरमेंट के बाद पति यहीं रहने लगा था। जानकारी यह भी सामने आई है कि पति-पत्नी में भी झगड़ा होता था।

पीड़िता के बेटे ने बताया कि वह अपनी मां के साथ हर दूसरे-तीसरे दिन थाने आता था। मां पुलिस से बात कर जल्द कार्रवाई के लिए कहती थी। इसी तरह से रविवार को गए थे। सवा तीन बजे के आस-पास मां थाने में गई थी कुछ देर बाद लौटकर आया तो मां को जलते हुए देखा।

बचाने में झुलसा कांस्टेबल

थाने पर ही तैनात कांस्टेबल अमर सिंह ने उसे जलता देख बचाने का प्रयास किया। महिला कांस्टेबल कंबल लेकर आई और उसपर लपेटा। बचाव के दौरान अमर सिंह का हाथ जल गया। उसका भी एसएमएस अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया गया।

विवादों से रहा है नाता

मामले की जांच थानाधिकारी संजय गोदारा के पास है। थाने में घटनाक्रम के दौरान वह ड्यूटी पर झोटवाड़ा गए थे। सूचना पर थाने पहुंचे। गोदारा का विवादों से पुराना नाता है। शिप्रापथ थाने में रहते कुछ मीटर दूर युवक की जलाकर के हत्या का मामला हुआ था। करणी विहार थाने में रहते हुए थाना परिसर में बेटे का चालान छुड़वाने आए पिता की हृदयगति रुकने से मौत हो गई थी। वहीं अब वैशाली नगर थाने में आत्मदाह का प्रयास का मामला हो गया।

29/07/2019/राजस्थान पत्रिका

न्याय पाने की जान: पुलिस कर रही बदनाम

वैशाली नगर थाने में खुद को आग लगाने वाली बलात्कार पीड़िता की मौत

30/07/2019/राजस्थान पत्रिका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. वैशाली नगर थाने में खुद को आग लगाने वाली बलात्कार पीड़िता की सोमवार को यहां एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंची 35 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई नहीं होने से क्षुब्ध होकर रविवार को थाने में ही आग लगा ली थी। सोमवार को पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मात्र जांच अफसर बदलने की बात कही। बलात्कार मामले की जांच एसीपी सदर संध्या यादव व आत्मदाह की जांच एसीपी जया सिंह करेंगी। पीड़िता द्वारा जांच में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

उधर, पीड़िता के पति का कहना है कि मामले की जांच के नाम पर पुलिस अक्सर परेशान करती थी। एसएचओ संतोषप्रद जवाब नहीं देते थे। पीड़िता ने 5 जून को फतेहपुर (सीकर) निवासी रविंद्र पर उसके साथ 2015 से बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था।

पुलिस दे जवाब?

जब पुलिस की जांच में मामला सही नहीं था, तो उसमें एफआर क्यों नहीं लगाई? महिला की मौत के बाद सार्वजनिक कर उसे बदनाम किया है। इसको लेकर कई संगठनों ने नाराजगी जताई है।

और पुलिस का 'लचर' बचाव

पति-पत्नी में विवाद था। 2017 से दोनों अलग थे। कुछ महीनों पहले दोनों की तलाक की अर्जी कोर्ट में थी। 6 माह का टाइम मिला था।

पुलिस पीड़िता व आरोपी के बीच संबंध बता रही है। पीड़िता ने आरोपी की सगाई तुड़वाने की कोशिश की थी।

आपसी सहमति से संबंध की बात सामने आई थी। पीड़िता को कभी थाने के चक्कर नहीं कटवाए। लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई होगी।

आनंद श्रीवास्तव, पुलिस आयुक्त

30/07/2019/दैनिक भास्कर

क्राइम कंट्रोवर्सी

थाने में खुद को आग लगाने वाली दुष्कर्म पीड़िता की मौत

पति ने कहा- ...आरोपी धमकी दे रहे हैं कि हमने पुलिस अफसरों को रुपया दिया है, महिला ने जब आग लगाई तो उसके पास मोबाइल था, जिसमें सारे सबूत थे...वह गायब है

पुलिस ने कहा- ...इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि दोनों ने सहमति से संबंध बनाए, मोबाइल में कोई सबूत नहीं मिला...आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं

पीड़िता ने सीमन लगे कपड़े भी दिए, आईओ ने न आरोपी के सैंपल लिए ना डीएनए कराया... कमिश्नर बोले- मर्जी का रिश्ता था

ये वो सबूत हैं जो पीड़िता ने दिए, पुलिस ने जांच में गलत माने ....तब किया आत्मदाह!

क्राइम रिपोर्टर | जयपुर

न्याय नहीं मिलने से आहत होकर वैशाली नगर थाना परिसर में खुद को आग लगाने वाली दुष्कर्म पीड़िता की सोमवार सुबह सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक फतेहपुर शेखावाटी में कारंगा छोटा गांव निवासी रवीन्द्र सिंह को हिरासत में लिया। पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा- अब तक की जांच में महिला व आरोपी युवक के बीच सहमति से संबंध बनाने की बात सामने आई है। पांच साल से दुष्कर्म हुआ तो शिकायत क्यों नहीं की? युवक की गत दिनों सगाई हुई तो पीड़िता ने युवक को शादी करने से इंकार किया। इसके चलते दोनों में मनमुटाव हो गया। महिला के पति का आरोप है कि युवक के परिजन धमकी दे रहे हैं कि हमने पुलिस को मोटा रुपया दिया है। पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। जब पत्नी ने थाने में आग लगाई तब उसके पास मोबाइल था। जिसमें आरोपी युवक के खिलाफ सारे एविडेंस थे। ये एविडेंस हमने थाना प्रभारी संजय गोदारा को भी दिए थे मगर अब मोबाइल भी गायब है।

1 मजिस्ट्रेट के सामने बयान

पीड़िता ने पुलिस को 161 के बयान में दुष्कर्म की बात कही। मजिस्ट्रेट के सामने बयान में भी पीड़िता ने दुष्कर्म की बात कही। मजिस्ट्रेट बयानों की कॉपी जांच अधिकारी वैशाली नगर थाना प्रभारी को मिल गई लेकिन थाना प्रभारी ने कुछ नहीं किया।

2 दुष्कर्म की हर जगह बताई

पीड़िता ने पुलिस को वो सब जानकारी दी जिसमें आरोपी उसे जयपुर व अन्य स्थानों पर लेकर गया। जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने उन होटलों में ठहरने की आईडी तक दे दी। मगर जांच अधिकारी संजय गोदारा ने इसे रजामंदी से साथ जाना माना।

3 सीमन लगे कपड़े भी दिए

पीड़िता ने पुलिस को बयानों में बताया कि रवीन्द्र सिंह को उसके घर आया और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने सबूत के तौर पर खुद के कपड़े 19 जुलाई को पुलिस को दिए। जिस पर आरोपी का सीमन लगा था। पुलिस ने इनको जब्त कर लिया। पीड़िता के मेडिकल के दौरान डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल ले लिए। मगर आरोपी का सैंपल नहीं लिया। पीड़िता की ओर से सीमन लगे कपड़े दिए जाने के बाद पुलिस को इन्हें एफएसएल के लिए भिजवाने थे मगर जांच अधिकारी ने नहीं भिजवाए। ये कपड़े थाने में ही रखे हैं।

4 पीड़िता से मांगा वीडियो

पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा था कि आरोपी ने उसकी वीडियो क्लिप बना ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा है। रुपए मांग रहा है। जांच अधिकारी ने आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की न ही वह मोबाइल जब्त किया जिससे वीडियो क्लिप बनाई थी। उल्टे पीड़िता को ही क्लिप देने को कहा। पीड़िता ने जवाब दिया था कि जिस मोबाइल में वीडियो बनाया गया है वह आरोपी के पास है। आरोपी ने उसे मोबाइल में वीडियो दिखाया था जिसके आधार पर ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने मोबाइल जब्त नहीं किया।

पुलिस कमिश्नर का कहना है- पीड़िता की बताई हर बात की जांच कर चुके, संबंध पुराना था, दुष्कर्म नहीं

पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और डीसीपी विकास शर्मा का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता ने जहां-जहां जाना बताया वहां की सारी जांच करवा ली। दोनों सहमति से ठहरे थे। युवक से बुलाकर सख्ती से पूछताछ की है। उसके घर की तलाशी ली है। उसका मोबाइल चैक किया है। क्लिप नहीं मिली। महिला ने 19 जुलाई को सीमन लगे कपड़े दिए हैं। महिला का पति से तलाक का मामला चल रहा है। युवक और महिला की फेसबुक पर काफी चैटिंग हुई है। मामले की जांच एसीपी सदर संध्या यादव को दी गई है।

आज बाजार बंद, महिला आयोग की टीम आएगी

दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग को लेकर वैशाली नगर व झोटवाड़ा के बाजार बंद रखने का आह्वान है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जांच के लिए वैशाली थाने पहुंचेगी।

5 ब्लैकमेलिंग के साक्ष्य दिए

पीड़िता ने बयानों में कहा आरोपी ब्लैकमेल कर काफी रुपए ले चुका। जांच अधिकारी ने जब सबूत मांगे तो पीड़िता व उसके पति ने अकाउंट की डिटेल दी थी। जिसमें पांच-छह लाख रुपए पीड़िता व पति के अकाउंट से युवक के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। जांच अधिकारी ने इसे भी सबूत नहीं माना।

6 धमकी की रिकॉर्डिंग भी दी

पीड़िता ने पुलिस को कहा था कि रवीन्द्र आरोपी उसे बार बार धमका रहा है। पुलिस ने सबूत मांगे तो पीड़िता ने फोन पर धमकाने की रिकॉर्डिंग की और जांच अधिकारी को दी। जांच अधिकारी रवीन्द्र के वॉयस सैंपल लेने के बजाय पीड़िता को कह रहे हैं वो फोन दो जिससे रिकॉर्डिंग की गई थी।

7 जहां-जहां रेप, वहां ले गई

जांच अधिकारी ने पीड़िता को कहा था कि वह जगह बताओ जहां पहली बार रवीन्द्र ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि उसे नशीला पदार्थ पिलाया था, नहीं पता कि दुष्कर्म कहां किया। इसके बाद वीडियो दिखाकर जहां-जहां दुष्कर्म किया वे सब जगह पुलिस को दिखाई।

8 पीड़िता को ही प्रताड़ना

पीड़िता हर तीसर-चौथे दिन थाने जाती थी। अपने दिए सबूतों पर रवीन्द्र को गिरफ्तार करने की बात कहती थी। पीड़िता के पति का कहना है कि जांच अधिकारी बजाय सही तरीके से बात करने के उल्टे पत्नी की ही सबके सामने बेइज्जती कर देता था। पत्नी काफी आहत थी।

9 थाना पुलिस ने पीड़िता से कहा- तू फंसा रही है, शर्म नहीं आती

कुछ दिन पहले एसीपी रायसिंह बेनीवाल व थाना प्रभारी संजय गोदारा ने पीड़िता व आरोपी युवक के परिजनों को वैशाली नगर थाने पर बुलाया। पीड़िता ने दुष्कर्म की बात दोहराई। पुलिस अफसरों ने कहा- रवीन्द्र तुझसे 6 साल छोटा है। शर्म नहीं आती। युवक को फंसा रही है।

Govt admits police conduct with rape victim was improper, suspends SHO

Times News Network

Jaipur: The SHO investigating the rape case lodged by a woman, who set herself on fire at Vaishali police station here on Sunday demanding the arrest of the accused, was suspended on Tuesday night, as the state government acknowledged that police conduct with the woman was improper. The 35-year-old woman succumbed to burns at a hospital here on Monday.

Parliamentary affairs minister Shanti Dhariwal said the case would now be investigated by an additional SP-rank officer of the CID-CB.

"The probe will find out two things: whether it was rape or consensual and the treatment meted out to the victim by police," the minister said.

"It was a consensual relation which went wrong. The accused is a relative of her husband. Both of them travelled together to Delhi, Nainital and Udaipur. If there were any unwanted adva[...] could have fi[...] the minister [...] lice investigation report.

The victim had lodged an FIR on June 5 against her husband's cousin, Ravindra Singh Shekhawat, alleging that he had raped her in 2015. She had alleged that despite visiting the police station on several occasions over the last couple of months, SHO Sanjay Godara did not take her complaint seriously.

In its defence, police said the accused was not arrested since allegations levelled against him were "not found" to be true. The cops even said the woman and the man were having an affair since October

'CID-CB PROBE HAS BEEN ORDERED'

➤ **The probe will find out two things: whether it was rape or consensual** and the treatment meted out to the victim by police, said parliamentary affairs minister Shanti Dhariwal

➤ **The case** would now be **investigated by an additional SP-rank officer** of the CID-CB

Pic: Bhagirath

Cops outside shops in Vaishali Nagar during bandh called by Rajput community

31/07/2019/टाईम्स ऑफ़ इंडिया

TIMES CITY | REGION

Women panel slams tardy rape probe

Records The Statement Of Husband

Times News Network

Jaipur: The National Commission for Women (NCW) on Tuesday came down heavily on Jaipur police for their tardy investigation into the complaint of a 35-year-old alleged rape victim who immolated herself at Vaishali Nagar police station on Sunday evening and died a day later.

NCW member Rajulben Desai met senior city police officers and recorded the statement of the deceased's husband at the police commissionerate. Desai said there was apparent negligence by police, which drove the woman to take the extreme step.

"The commission wants to know why the accused was not arrested even after an FIR was registered by the woman," Desai said, adding that she studied the FIR where the deceased had alleged that the accused blackmailed her multiple times by threatening to upload her video clips on social media.

The commission castigated the police commissioner for holding a press conference to cast aspersions on the woman's character. "The husband told us that throughout the investigation, police favoured the accused. It is shameful that a woman was driven to take the extreme step," added Desai. The commission said they were waiting for the woman's dying statements, FSL and postmortem report. "The commission is investigating the case, we will also record her son's statements," she said.

She also said the commission would soon issue a notice to the state government on the increasing cases of crimes against women.

Arvind Sharma

NCW member Rajulben Desai & ex-president of state women's commission Suman Sharma in city on Tuesday

Victim, accused relation consensual, says top cop

Times News Network

Jaipur: Amid reports that police never questioned the rape accused and which ultimately drove the complainant to commit suicide, city police commissioner Anand Shrivastav on Tuesday said the probe was carried out as per protocol and there was no proof that the man had ever raped the woman.

Shrivastav maintained that the woman and the accused were in relationship, though the state government admitted to police lapses in investigation. "Our teams went to Ajmer and Nainital to check the hotels where the complainant had claimed that the accused had raped her, but we found no evidence to support these claims. Not even circumstantial evidence could be established to prove the charges," he added.

Many shopkeepers in Vaishali Nagar, Jhotwara and Khatipura also kept their businesses closed on Tuesday to protest against the police investigation in the matter.

The 35-year-old woman had filed a rape case against Ravinder Singh on June 5 in which she claimed that he videographed her in a compromising position in 2015 and used it to rape her for the next four years.

Police, however, claimed they found no such clip in the accused's mobile phone. "The woman and the accused knew each other well for the last four years. We got the accused here many times for questioning and his phone was checked, but no video recording of the woman was found in it," Shrivastav said.

The complainant's family said they had been threatened by the accused and the voice recordings of the calls were handed over to police who took no action. "We did receive an audio recording from the complainant, but no threats were made. It appeared to be a consensual relationship," the commissioner said.

Bhagirath

Members of Rajput Karni Sena stage protest in the city on Tuesday

'No injury marks were found'

➤Continued from P 1

Jaipur: "ATM cards of her husband and the victim were found with the accused, following which he was questioned. Medical examination was conducted but no injury marks were found. The victim's divorce petition is also pending," the minister said.

The minister's response to the media was followed with the BJP walking out of the assembly on the issue. BJP MLA Kalicharan Saraf, who raised the issue during Zero Hour through an adjournment motion, said police inaction forced the woman to take her life.

"The accused, who used to frequent her residence, laced her drinks with intoxicants and raped her. He made a video clip of it and used it as a blackmail tactic to rape her repeatedly for over four years," Saraf said.

When her husband returned home after retirement, she narrated the incident and filed an FIR at Vaishali Nagar police station. But police failed to arrest the culprit, he alleged.

When Dhariwal in his reply said the member's description of the incident was wrong, the opposition raised a hue and cry and walked out.

When speaker proceeded with the business of the house, the opposition members returned to the house and rushed to the well of the house shouting slogans. The speaker then adjourned the house for half an hour at 1 pm.

31/07/2019/दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर, बुधवार, 31 जुलाई, 2019 02

क्राइम कंट्रोवर्सी

थाने में खुद को आग लगाने वाली दुष्कर्म पीड़िता की मौत

एसएचओ गोदारा सस्पेंड, जांच सीआईडी सीबी को...राष्ट्रीय महिला आयोग बोला-सरकार और पुलिस की नाकामी

मंत्री के पुलिसिया बोल- 4 साल संबंध रहा, दोनों साथ घूमे, दुष्कर्म ही था तो तब केस क्यों नहीं दर्ज कराया?

विधानसभा से लेकर सड़कों तक विरोध, डीजी ने कहा-सीआईडी जांच के बाद तय करेंगे एसएचओ पर केस होगा या नहीं

पॉलिटिकल रिपोर्टर | जयपुर

वैशालीनगर थाने में महिला के आत्मदाह के मामले की जांच सीआईडी सीबी ने शुरू कर दी है। मामले के दखल के बाद एसीपी सीआई संजय गोदारा को सस्पेंड कर दिया। मंगलवार को यह मामला विधानसभा से सड़कों तक गूंजा। सदन में शून्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक कालीचरण सराफ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाया। जवाब में शांति धारीवाल ने मामले पर टिप्पणी कर दी कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। भाजपा विधायकों ने आपत्ति की तो स्पीकर ने धारीवाल को जवाब देने से रोक दिया। इसे लेकर भाजपा विधायकों की स्पीकर से नोक-झोंक हो गई और वाक आउट कर दिया। दो मिनट बाद दोबारा सदन में जुटे और राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी ने स्पीकर से कहा कि वैशालीनगर मामले में सरकार से जवाब दिलवाएं। माहेश्वरी को डांटते हुए स्पीकर बोले कि स्थगन पर सरकार जवाब नहीं देती है। विरोध में भाजपा विधायक धरने पर बैठ गए।

सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के बयान के बाद मंगलवार को सदन के बाहर धारीवाल ने भी पीड़िता पर ही सवाल उठा दिए। धारीवाल बोले- दोनों का संबंध 2015 से चल रहा था। सहमति के संबंध नहीं थे तो

चार साल तक लगातार क्यों नहीं बोली? पीड़िता आरोपी के साथ दिल्ली, नैनीताल गई। दुष्कर्म हो रहा था तो पीड़िता कहीं भी थाने में शिकायत दे सकती थी। आरोपी के पास महिला और उसके पति का एटीएम कार्ड चार साल तक कैसे रहा और लाखों रुपए निकाले गए? धारीवाल ने यह भी कहा- मैं भी मान रहा हूं कि पीड़िता से थाने में अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। हम तत्कालीन सीआई को सस्पेंड कर रहे हैं और जांच सीआईडी सीबी को दे रहे हैं।

बंद बाजार

वैशाली नगर थाने में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा आत्मदाह से नाराज लोगों ने मंगलवार को वैशालीनगर और खातीपुरा में बाजार बंद कराए। श्रीराजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना व वैशाली नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह व खातीपुरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भवानी सिंह के साथ लोगों ने बाजार में रैली निकालकर दुकानें बंद करने की अपील की। दोपहर में सभी वैशाली नगर थाने पहुंचे। एसीपी बेनीवाल व एसएचओ गोदारा सहित अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके कार्रवाई करने और दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। उधर, महिला के पति ने एसीपी व एसएचओ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दी है।

सीआईडी सीबी ने जांच शुरू कर दी है। आत्मदाह की घटना और दुष्कर्म के मामले की जांच अब यहां पर ही होगी। परिजन चाहते हैं आईपीसी की धारा 306 में केस दर्ज हो। हमने रिपोर्ट ले ली है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट मिलने पर निर्णय लिया जाएगा कि एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो या नहीं।
-भूपेन्द्रसिंह यादव, डीजीपी

आयोग की जांच

बदतर हालात हैं, राज्य में महिला आयोग की टीम ही नहीं!

दिल्ली से राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जयपुर पहुंची। कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव व मृतका के परिजनों से टीम ने ढाई घंटे तक अलग-अलग बातचीत की।

आयोग की सदस्य डॉ. राजुल देसाई ने कहा- दुष्कर्म पीड़िता द्वारा थाने में आत्मदाह गंभीर मामला है। यहां हालात इतने बदतर हैं। फिर भी राज्य में महिला आयोग की टीम नियुक्त तक नहीं की गई। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़िता को थाने बुलाकर प्रताड़ित किया। थाने में महिला काउंसलर नहीं थी और ना ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मृतका के पति ने आयोग की टीम को बताया कि उनकी पत्नी का मोबाइल गुम हो गया है। उस मोबाइल में दुष्कर्म आरोपी के खिलाफ कई सबूत हैं। ऐसे में पुलिस से मोबाइल की तलाश करवाएं। दूसरा आरोप यह लगाया है कि घटना के दौरान थाने के बाहर खड़ी पीड़िता की स्कूटी की डिक्की टूटी हुई मिली। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि थाने के बाहर खड़ी स्कूटी की डिक्की कैसे टूटी। पीड़िता का पर्स सहित कई दस्तावेज रखे हुए थे।

भास्कर विचार : दुष्कर्म पर बयान देने वाले जरूर पढ़ें

पिंक फिल्म के कोर्ट रूम से निकला वो डायलॉग...'नो' का मतलब 'नो' होता है...उसे कहने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्ल फ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी ही क्यों ना हो...'नो' मिंस 'नो', एंड समवन सेज 'नो'... यू स्टाप।

Scanned with CamScanner

31/07/2019/राजस्थान पत्रिका

बलात्कार पीड़िता आत्मदाह ...

सीआइ को किया निलंबित, जांच सीआइडी-सीबी को

जयपुर @ पत्रिका . वैशालीनगर थाने में बलात्कार पीड़िता के आत्मदाह मामले में सीआइ संजय गोदारा को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच सीआइडी-सीबी को सौंपी गई है। आइओ अति. पुलिस अधीक्षक स्तर का होगा। उधर, मंगलवार को इस मामले को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।

हंगामे के कारण प्रतिपक्ष और सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल अपना पक्ष नहीं रख पाए। मीडिया से बातचीत में धारीवाल ने माना, पीड़िता से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। धारीवाल ने कहा कि पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला ने आरोपी से सहमति से संबंध बनाए। महिला व आरोपी के बयान भी दर्ज हुए। पुलिस का मानना है कि महिला ने 4 वर्ष तक बलात्कार की रिपोर्ट क्यों नहीं दी। (देखें पेज इनसाइड भी)

Scanned with CamScanner

विधानसभा में भाजपा विधायकों का हंगामा, वेल में धरना

विधानसभा में बलात्कार पीड़िता के आत्मदाह को लेकर भाजपा के स्थगन प्रस्ताव पर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल के जवाब देते समय भाजपा विधायकों ने हंगामा कर दिया। इसके चलते अध्यक्ष सी.पी.जोशी ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव पर ऐसा नहीं होता। इसके विरोध में भाजपा विधायकों ने पहले सदन से वॉक आउट किया और बाद में वेल में धरना दिया।

राठौड़

बलात्कार नहीं हुआ तो एफआर क्यों नहीं लगाई

स्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि सरकार संवेदनहीन हो गई है। वैशाली नगर मामले में पचास दिन बाद आयुक्त बयान दे रहे हैं कि पीड़िता से बलात्कार नहीं हुआ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस ने एफआर क्यों नहीं लगाई। वहीं कालीचरण सराफ ने कहा कि पुलिस ने पीड़िता को काफी चक्कर कटाए, लेकिन कार्रवाई नहीं की।

धारीवाल

सराफ को कानून की जानकारी नहीं

जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सराफ को कानून की जानकारी नहीं है। महिला ने किस-किस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। उनके यह कहते ही भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। धारीवाल ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जोशी ने उन्हें भी रोक दिया।

जोशी बोले: सदन ऐसे नहीं चल सकता

जोशी ने कहा कि सदन ऐसे नहीं चल सकता। उन्होंने पुष्पेन्द्र सिंह को अपनी बात कहने के लिए पुकार लिया। इसके विरोध में भाजपा विधायक वॉक आउट कर गए। कुछ देर बाद सदन में लौटने के बाद भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी ने फिर से इस मामले को उठाया तो अध्यक्ष ने उन्हें रोका। स्थगन प्रस्ताव के दौरान ऐसा नहीं करने की बात कहते हुए जोशी ने किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं लेने की घोषणा कर दी। भाजपा विधायक विरोध करते हुए वेल में पहुंचे व धरने पर बैठ गए।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मंगलवार को वैशाली नगर थाने में आत्मदाह के प्रकरण की जानकारी जुटाने जयपुर पहुंची। सदस्या डॉ. राजुल देसाई अपनी टीम के साथ पुलिस आयुक्त से मिली और बलात्कार के मामले की एफआइआर और उस पर की गई जांच की जानकारी ली। आयुक्त से चर्चा के बाद टीम ने मृतका के पति व बहन से भी बात की। देसाई ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार व पुलिस गंभीर नहीं है। बलात्कार पीड़िता के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ था, जो उसे मजबूरन थाने में जाकर आत्मदाह करना पड़ा। देसाई ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक राज्य में महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं की।

पुलिस ने किया गलत

सदस्या ने कहा एक दिन पहले जयपुर पुलिस ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीड़ित महिला की जानकारी सार्वजनिक की, वह बेहद निंदनीय है। पुलिस कौन होती है किसी के चरित्र पर सवाल उठाने वाली। पुलिस ने तो पीड़िता को ही गलत ठहरा दिया। दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हो।

शांतिपूर्ण रहा बाजार बंद: घटना के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना, वैशाली नगर व्यापार मंड अध्यक्ष ललित सिंह व खातीपुरा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर के वैशाली नगर व खातीपुरा के बाजार बंद करवाए।

31/07/2019/राजस्थान पत्रिका